(57)

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

No. 152/2017 Dated. 14-9.2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MOEF), Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that **3.5975** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Rural Road Development authority for consuction of road** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Garth** village(s) in **Chinyalisaur** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.5975** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee

(s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure **23** to **23.2** annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Dr. A.K. Srivastava)
District Magistrate,
Uttarkashi.

(58)

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level Committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship of **Dr. A.K. Srivastava District Magistrate Uttarkashi** on date 21-08-2017 at Time 11.00 AM Uttarkashi in which application claiming rights in Forest land area measuring **3.5975** hect for the Construction of Garath (Devarikhol) to Garath Motor Road (Km 4.875) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division level Committee of Dunda sub division were discussed to consider the same for admission by the district level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated: 14-9-2017

(Dr. A.K. Srivastava)
District Magistrate,
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

It is certified that- Minutes of meeting of Construction of Road the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **3.5975 Hect.** of reserve forest area proposed for deversion. A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee(s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes. copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. **No objection certificate** concerned villages regarding construction of aforesaid is Garath (Devarikhol) to Garath link Road in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not innvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. A.K. Shrivastava)
District Magistrate cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला उत्तरकाशी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–7 के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (लम्बाई 4.875 किमी०) सिविल सोयम भूमि एवं वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी उत्तरकाषी द्धारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21/08/2017 को आयोजित की गई है जिसमें निम्न अधिकारी एंव सदस्य उपस्थित हुये है।

कम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी , उत्तरकाशी वन प्रभाग	(हस्ताक्षर) प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेंन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य, टकनौर	(हस्ताक्षर)
5	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैंण	(हस्ताक्षर) सदस्या जिला पंचायत-04 लदाड़ी वि०ख०-भटवाड़ी, उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, डख्याटगांव	(हस्ताक्षर)

It is certified that- Minutes of meeting of **Garath (Devarikhol) to Garath Link Road (Km 4.875)** regarding FRA is as following:-

(61)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (4.875 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि –3.5975 है0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चिन्यालीसौड
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, उत्तरकाशी

डम्पिंग जोन हेतु 0.50 है0 भूमि की आवश्यकता है। अतः कुल भूमि 3.0975+0.50 ⇒ 3.5975 है0

उपखण्ड चिन्यालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.0325 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.065 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.405 है0 नाप भूमि, अर्थात कुल 3.5975 है0 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड) की दिनांक 17/5/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री/~~श्रीमती/कु0~~ सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी —————— अध्यक्ष
2– श्री आर० वी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी —————— सदस्य
3– श्री सुधीर चन्द्र जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ सदस्य/सचिव
4– श्री ~~मति~~ चन्द्रकला पंवार बी0डी0सी0 क्षेत्र गडोली (हालड) —————— सदस्य

उप प्रभागीय वना. उत्तरकाशी वन प्र. उत्तरकाशी 18/5/17
सहायक समाज कल्याण अधिकारी (उत्तरकाशी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य गडोली (हालड) चिन्याली सौड़, (उत्तरकाशी)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (4.875 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव परियोजना हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के संमक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
उप जिला अधिकारी डुण्डा

Photo Copy Attested
वी0 के0 कश्यप
सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बंधी नियंम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से **उपखण्ड चिन्यालीसौड** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **गडथ** (दिवारीखोल) से गड्थ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (4.875 किमी0) **के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव परियोजना के निर्माण हेतु** 3.5975 **है0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, उत्तरकाशी** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डुण्डा
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी **को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

Photo Copy Attested
(हस्ताक्षर)
वी0 के0 कश्यप
सहायक अभियन्ता
प्र0 एम0 जी0 एस0 वा0 इ0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डुण्डा
जनपद उत्तरकाशी

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (4.875 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 3.5975 है0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – गडथ
तहसील–चिन्यालीसौड, जिला–उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत **गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर** मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (**1.0325 है0** आरक्षित वन भूमि, **2.065 है0** सिविल सोयम भूमि, एवं **0.405 है0** नाप भूमि) अर्थात कुल **3.5975 है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गडथ** द्वारा दिनांक 18/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों क तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गडथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

Photo Copy Attested
डी0 के0 कश्यप
सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

शम्भू जोशी
प्रधान ग्राम पंचायत गडथ
वि0ख0 चिन्यालीसौड़
ह0 / –
ग्राम प्रधान

प्रपत्र — 23.1

दिनांक 18/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत— गड़थ

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	हरीमोहन	[signature]
(2)	विक्रम सिंह	विक्रमसिंह
(3)	राजपाल लाल	
(4)	किसना लाल	किसना
(5)	जयेन्द्र सिंह	जयेन्द्रसिंह
(6)	निहाल सिंह	निहाल सिंह
(7)	विरेन्द्र सिंह	बिरेन्द्र सिंह
(8)	चन्दन सिंह	चन्दनसिंह
(9)	दयाल सिंह	[signature]
10	मगनी देवी	मगनी लक्ष्मी देवी
11	फुलमा देवी	फुलमादेवी
12	पवना देवी	पबना
13	चिन्दरी देवी	चिन्दरीदेवी मगनी
14	केदारी देवी	केदारीदेवी
15	दुर्गी देवी	दुर्गीदेवी पबना
16	रामप्यारी देवी	रामप्यारी
17	वचना देवी	वचनादेवी
18	सुनीता देवी	सुनीता
19	कुन्दा देवी	कुन्दादेवी
20	सुभद्रा देवी	सुभद्रा
21	दिपक सिंह	[signature]
22	ममता देवी ~~[illegible]~~	ममता
23	~~[illegible]~~ चन्द्र देवी	चन्द्र देवी
24	सुषमा देवी	सुषमादेवी
25	सुलोचना	सुलोचना
26	जगतम्बा देवी	जगदम्बा देवी
27	प्रदीप चौहान	प्रदीप चौहान

शम्भू जोशी
प्रधान ग्राम पंचायत गड़थ
वि०ख० चिन्यालीसौड़
जनपद- उत्तरकाशी

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 18/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– गड़थ

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
28	सोबत सिंह चौहान	सौवतसिंह
29	आनन्द सिंह चौहान	[illegible]
30	विजयपाल सिंह चौहान ~~[illegible]~~	[illegible]
31	राजेन्द्र सिंह चौहान	राजेन्द्रसिंह
32	धर्मलाल	[illegible]
33	मंगल लाल	मगलु लाल
34	रामेन्द्र सिंह	[illegible]
35	प्रेम लाल	प्रेमलाल
36	पंकज चौहान	[illegible]
37	कीर्ति लाल	[illegible]
38.	सन्दीप कोहली	[illegible]
39	सुमन कोहली	Suman
40	प्रेमलाल	प्रेमलाल
41	गुणबीर सिंह	[illegible]
42.	सोबेन्द्र सिंह	[illegible]
43.	प्रेम सिंह	Prem
44	रामस्वरूप	[illegible]
45	विजयपाल सिंह	
46	बलबीर लाल	बलवीर लाल
47	गोविन्द प्रसाद	GPS
48	वन्दना देवी	वनदना
49	ससी देवी	ससी देवी
50	अलेल सिंह	अलेल सिंह
51	दुर्गा प्रसाद	DPS
52	अरविन्द प्रसाद	AP Joshi
53	अनील सिंह	अनील सिंह
54	प्रमोद दास	प्रमोद दास

ह0/–

ग्राम प्रधान

शम्भू जोशी
प्रधान ग्राम पंचायत गड़थ
वि0ख0 चिन्यालीसौड़
जनपद– उत्तरकाशी

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 18/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– गडथ

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
55	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
56	महीपाल लाल	महिपाल लाल
57	रतना लाल	रतना
58	अकवीर दास	अकवीर दास
59	भजान सिंह	भजान सिंह
60	~~कुं~~ कुंदी लाल	कुंदी लाल
61	सोहन लाल	सोहन लाल
62	धोकरु लाल	धोकरु लाल
63	दिलदास	दिलदास
64	सिवदास	सिवदास
65	कृपाल सिंह	कृपाल
66	वलवीर सिंह	वलवीर सिंह
67	सोवत सिंह	सोवत सिंह
68	दिरा लाल	दिरा लाल
69	भागरतू लाल	भागरतू
70	राकेश लाल	राकेश
71	वैसाकु लाल	वैसाकु
72	लखवीर सिंह	लखवीर सिंह
73	प्यारे लाल	प्यारी लाल
74	अनीता देवी	अनीता देवी
75	गम्बीर सिंह	गम्बीर सिंह
76	सुधीर लाल	सुधीर लाल
78	लोकेन्द्र सिंह	लोकेन्द्र सिंह
79	जगदु लाल	जगदु लाल
80	मनेश चौहान	मनिस चौहान
81	राम लाल	राम लाल
82	वृजा लाल	वृज लाल

ह0/–

ग्राम प्रधान

भानू जोशी
प्रधान ग्राम पंचायत गडथ
वि0ख0 चिन्यालीसौड़
जनपद– उत्तरकाशी